न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29 ⁄ 2020

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
तहसीलदार (भूमिधारी) रानीवाडा जिला जालोर	1. केवाराम पुत्र अगराराम 2. बाबु पुत्र अगरा 3. भुदराराम पुत्र अगरा 4. मकनाराम पुत्र अगरा जाति कलबी निवासी धानोल तहसील रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी राजपेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गर्ग।

निर्णय

दिनांक – 11.11.2021

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा धानोल के खसरा नम्बर 187 रकबा 0.13 हेक्टेयर किस्म जाव प्रथम भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई हैं। जिसमें मौके पर कृषि योग्य भूमि को खुर्द बुर्द करके दुकान का निर्माण कर व्यवसायिक कार्य किया जा रहा है। कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण व आवंटन कराये बिना किसी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लिये दुकान बनाकर व्यावसायिक उपयोग में ले रहे है। अतः मौजा धानोल के खसरा नम्बर 187 रकबा 0.13 हैक्टेयर किस्म जाव प्रथम है, जिसमें अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत बेदखली व उनके खातेदारी अधिकारी समाप्त कर उक्त 0.13 हेक्टेयर भूमि को सिवायचक कराने की कृपा करावे ।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गर्ग द्वारा जवाब पेश किया गया।

3. अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त प्रकरण में विवादीत आराजी मौजा धानोल में स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 1844 ⁄ 187 रकबा 0.10 हेक्टेयर है। जिसमें अप्रार्थीगण अनपढ है, इसलिये वे व्यवसायिक प्रयोग में उपयोग हेतु दुकाने बनाने से पूर्व व्यवसायिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन हेतु सक्षम कार्यालय में पत्रावली पेश नहीं कर सके। आगे वे किसी भी प्रकार का खातेदारी अधिकार खत्म हो ऐसा प्रयास नहीं करेगें अप्रार्थीगण गरीब है। अतः कथन पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र बाबत धारा 177 आर.टी. एक्ट 1955 की कार्यवाही खारिज करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.23 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने राजपेरोकार व अप्रार्थीगण के विद्वांन अधिवक्ता की बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस के तथ्य पर मनन किया गया । प्रार्थी राजपेरोकार द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि उक्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 1844/187 रकबा 0.10 हेक्टेयर जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अनुमति के दुकानों का निर्माण किया गया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सामान के भण्डार हेतु दुकान का निर्माण करवाया गया था। जिसका उद्वेश्य व्यवासायिक उपयोग करना नही था। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया गया है। जिसको नियमों के अंतर्गत नियमित करवाने की कार्यवाही करना चाहता है। जिसके लिए उन्हे 3 माह का समय दिया जावें। हस्तगत प्रकरण में जमाबंदी सवंत 2074–77 में खाता संख्या 80 में खसरा संख्या 1844/187 में खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक खातेदार दर्ज है। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा दुकान व घरेलू सामान के भण्डार हेतु निर्माण करने पर भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है। अप्रार्थीगण वकील द्वारा नियमों के अंतर्गत नियमित करवाने हेतु 3 माह का समय चाहा गया है, परन्तु इस प्रकरण में इतना लम्बा समय दिया जाना इस प्रकरण में उचित नही मानता हूं अतः एक माह का अवसर प्रदान किया जाता है। तथा अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त अवधी में उक्त आराजी को अकृषि प्रयोजनार्थ नियमों के तहत नियमितिकरण कराने की कार्यवाही कर उसकी सूचना इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त समयावधि में किसी प्रकार की कार्यवाही नही करने की स्थिति में भूमिधारी तहसीलदार (प्रार्थी पक्ष) द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रिसिवर की हैसियत से अप्रार्थीगण की आराजी का कब्जा राजहक में ले सकेगा। अतः उक्त प्रार्थना पत्र उक्त स्थिति में निर्णित किया जाता है, एवं निर्णय की पालना करवाने हेतु प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थीगण पक्ष को निर्णय की प्रति भेजकर पाबंद किया जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 11.11.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.23 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested